

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00412

- ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर जरिये उप सरपंच लिखमाराम

—अपीलान्टस

बनाम

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
- सुन्दरी देवी पत्नी राधेश्याम कौम स्वामी निवासी मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
- राजेश पुत्र राधेश्याम
- रमेश पुत्र राधेश्याम
- महेश पुत्र राधेश्याम समस्त जाति स्वामी निवासी मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
- रेखा पुत्री राधेश्याम
- सीमा पुत्री राधेश्याम
- प्रेम पुत्री राधेश्याम
- निशा पुत्री राधेश्याम समस्त जाति स्वामी निवासी मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
- गीता देवी पुत्री कानदास जाति स्वामी निवासी मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 79/2016 सरकार जरिये तहसीलदार बनाम सुन्दरी देवी व अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर निर्णय दिनांक 27.03.2018

उपस्थित—

- श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.नं. 1 की ओर से
- श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

निर्णय

दिनांक —05.03.2024

- यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा भूमि की निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने निर्णय दिनांक 27.03.2018 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह जरिये उप सरपंच लिखमाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश 26.08.1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20.01.1983 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर

(चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 27.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा भूमि की निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने निरस्त कर दिया।

1. यह कि निरस्त करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने निम्न आधार निर्धारित किये-

1. प्रार्थना पत्र पूरे 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।
2. समर्पण की कार्यवाही पूर्ण नहीं थी।
3. जिला कलक्टर द्वारा प्रशनगत भूमि को चारागाह घोषित करने की दरखास्त खारिज कर दी गई।
4. उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व खातेदारों के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने से भूमि राजकीय नहीं मानी जा सकती।
5. दिनांक 28/05/1976 के आवंटन आदेश के अन्तर्गत यह भूमि आवंटन की तारीफ में नहीं आती।
6. वन विकास के संबंध में।
7. खसरा गिरदावरी में काश्त का दर्ज नहीं होना सीधा आशय एकमात्र यह नहीं हो सकता है कि काश्तकार का कब्जा नहीं है।
8. खसरा नम्बर 264 में 2500 वर्गमीटर भूमि में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मौके पर ग्रीड स्टेशन है। जिसकी पैमाईश इस रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। जिस कारण से यह प्रकरण विद्युत वितरण निगम लि0 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का आपसी विवाद है जिसका वो निपटारा करें।
9. उपसहार भूमि में कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के स्थान पर आर.टी.ए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही पर नियमानुसार कार्यवाही करावें।

यह कि अपीलान्त का उपरोक्त आदेश के निर्णय बिन्दूओं को निम्न प्रकार चुनौती दे रहा है:-

1. प्रार्थना पत्र पूरे 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।
जवाब- यह कि न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के जवाब में निवेदन है कि गलत कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह प्रकरण राजकीय हानि एवं जनहित से जुड़ा है जिसके लिये कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जिसको अपास्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. समर्पण की कार्यवाही पूर्ण नहीं थी।

जवाब- अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर का यह निष्कर्ष निराधार है। आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा बरानी-2, खसरा नम्बर 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि नामान्तरण संख्या 58 के अन्तर्गत दिनांक 16/09/1962 को पंचायत की मीटिंग में पेश होने के कारण धारा 55 के तहत खातेदार ने उक्त जमीन को छुटकारा पेश कर दिया है। अतः आराजी खसरा नम्बर 261, 266 कानदास स्वामी से खारिज की जाकर सिवायचक दर्ज व अमल कागजता पटवार में दर्ज की जाती है। उक्त नामान्तरण के कॉलम संख्या 14 के मुताबिक हुक्म श्रीमान् तहसीलदार साहब मु.फुलेरा दिनांक 06/09/1962 एवं क्रमांक 493/ आरए एस.डी.ओ. सांभर दिनांक 03/05/1962 के अन्तर्गत नामान्तरण पेश हुआ। भूमि सिवाय चक अकित हो गई यानि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई।

RRD 1966 Har Narain Vs. Board of Revenue for Raj., D.B. Civil Writ Petition No- 357/63, decided on 30/11/1965 (a) में निम्न तर्जवीज दी हुई है:-

Raj. Tenancy Act, Sec- 55 (before amendment) - Two modes of surrender of holdings provided & By giving up possession of holding-Surrender may also be in writing and attested by Sarpanch or Village Headman or Chairman of Municipal Board & Board of Revenue held] was ot in error in accepting evidence of surrender even though it was not in writing and attested., page 31 to 34 (Para 4). blh rjg RRD 1968 Yasin Shah Vs. Munir Shah] Appeal NO- 7/Jhalawar/1963, decided on 3 July 1967 में भी निम्न तजबीज दी गई है :- (b) Raj- Tenancy Act, Sec- 55- Surrender-Scope and application of Legislative intent & Originally two modes of either by giving up possession or by execution of surrender deed in writing duly attested by Sarpanch etc- provided Provision mandatory and not only prescribed mode of attestation & After amendment only mode by delivery of possession accompanied by document in writing, duly attested by Tehsildar etc. imperative for valid surrender, page 37 to 41, (Paras 8 to 11). mijksä rtcht dks lgh crkrs gq, RRD 1983 ist 539 to 548 Khuma Vs. Mandir Parasnathji -(172), Appeal No- 112 / Pali of 75, decided on 10th May, 1983 में ये अभिनिर्धारित किया है - (f) Raj- Tenancy Act- Sec- 55 - Surrender- Attestation-Delivery of possession by deft. held enough to constitute surrender & Evidence about surrender, accepted by Board even though so called surrender] not evidenced by writing, duly attested in manner laid down in Sec- 55 as held in 1966 RRD 31 (H.C.) (Para 21) एवं इसी तजबीज को RRD 1979 पेज 401 से 405 से retrate किया गया है जो निम्न प्रकार है :- Phool Singh V/s Moti Lal, Appeal Nos- 344 - 345 / Alwar of 75, decided on 2nd April, 1979 esa ;g rtcht nh gS (c) Raj- Tenancy Act, Sec- 55 Surrender -Tobe made in favour of land holder and not of any person Surrender deed necessarily to be attested by Teh- Surrender rightly held to be invalid in abence of both pre- requisites. (Para 6)

उपरोक्त नजीरों एवं नामान्तरण जो सिवायचक भरा गया एवं आदेश अंकित किये गये एवं सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक किया गया हैं, (1) कब्जा छोड़ना एवं लिखित में सरेण्डर करना बखूबी प्रमाणित है। अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ ने जो व्यवस्था दी है वो कानून सम्मत न होकर मनमानी एवं तथ्यों एवं दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

3. जिला कलक्टर द्वारा प्रशनगत भूमि को चारागाह घोषित करने की दरखास्त खारिज कर दी गई।

जवाब- तथाकथित जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 02/11/1966 राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज्य सरकार को पक्ष को बिना सुनवाई किये निर्णय पारित करने के कारण उक्त आदेश क्षेत्राधिकार विहित होने से इसका संज्ञान अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को नहीं लेना चाहिए था। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय गैर कानूनी हैं।

4. उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व खातेदारों के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने से भूमि राजकीय नहीं मानी जा सकती।

5. दिनांक 28/05/1976 के आवंटन आदेश के अन्तर्गत यह भूमि आवंटन की तारीफ में नहीं आती।

जवाब- इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दी गई तजबीज सही नहीं हैं। यह भूमि न केवल आदेश पगरना अधिकारी सांभरलेक क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28/05/1976 के अनुशांषा पर दिया गया आदेश नहीं बताया गया बल्कि पश्चातवर्ती उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने भी ग्राम

पंचायत मण्डाभीमसिंह की आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13/06/1984 में भी उपरोक्त भूमि में दिनांक 26/08/1982 को दिये गये आदेश को आवंटन आदेश ही बताया गया है। अतः निष्कर्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर आवंटन सलाहकार समिति के मुखिया के आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं दिनांक 13/06/1984 के विपरीत बनाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। यह अपील करने का दायित्व ग्राम पंचायत का नहीं है। जब जिला कलक्टर स्वयं ही क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दे रहे थे तो उनके अधिनस्थ कर्मचारी अगर नियम पूर्वक कार्यवाही नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की नहीं है इसके लिए राजस्व प्रशासन स्वयं जिम्मेदार हैं।

6. वन विकास के संबंध में।

जवाब- यह प्रकरण चारागाह घोषित कराने का नहीं है बल्कि नियमों के विपरीत 20 साल बाद राजकीय भूमि को राजकीय हितों को दरकिनार करके बिना कब्जे काश्त के भूमि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करके भूमि दिये जाने का है। जबकि मौके पर वन विभाग द्वारा खड़े खोदकर डोल इत्यादि का निर्माण किया गया है एवं वृक्षारोपण कार्यवाही की गई है। जिस पर निष्पक्ष एवं कानून सम्मत कार्यवाही न करके अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है लिहाजा उन द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7. खसरा गिरदावरी में काश्त का दर्ज नहीं होना सीधा आशय एकमात्र यह नहीं हो सकता है कि काश्तकार का कब्जा नहीं है।

जवाब- यह निष्कर्ष की गिरदावरी कब्जे का आधार नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष राजस्व विधान के विपरीत हैं। काश्तकार के लिए कब्जे का सबूत गिरदावरी एवं लगान की रसीद ही होती है जिसको महत्व नहीं दिया जाना अतिरिक्त जिला कलक्टर की नादानी के अलावा कुछ नहीं है। यह नसीहत की 14 (4) के बजाय धारा 63 में की जानी चाहिए थी आम जनता ने उपखण्ड सांभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 13/06/1984 को सदभावी आदेश मानते हुये कार्यवाही की गई है।

8. खसरा नम्बर 264 में 2500 वर्गमीटर भूमि में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मौके पर ग्रीड स्टेशन है। जिसकी पैमाईश इस रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है। जिस कारण से यह प्रकरण विद्युत वितरण निगम लि० एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का आपसी विवाद है जिसका वो निपटारा करें।

जवाब- यह कि प्रकरण जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से संबंधित न होकर राजकीय हानि से संबंध रखता है जिसके बारे में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने अर्द्धन्यायिक कार्यवाही में ध्यान नहीं रखकर राजकीय हानि कारित की है जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं।

9. उपसंहार भूमि में कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के स्थान पर आर. टी.ए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही पर नियमानुसार कार्यवाही करावें। निर्देश के स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय को स्वयं को इस मामले में नामान्ताकरण संख्या 601 दिनांक 20/1/83 को एल. आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत करना चाहिये था।

अतः यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि जिस पर कभी भी रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 10 का कब्जा काश्त नहीं रहा आज भी मौके पर पडत पडी है एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० का ग्रीड बना हुआ है एवं खसरा गिरदावरी में कोई कब्जा काश्त न पहले था और न आज है। ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 27/03/2018 प्रार्थना पत्र संख्या 79/2016 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिया गया आदेश 03/05/1962 एवं नामान्ताकरण संख्या 58 दिनांक 16/09/1962 को बहाल रखते हुये पश्चातवर्ती आदेश उपखण्ड अधिकारी दिनांक 26/08/1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्ताकरण संख्या 601 दिनांक 20/01/1983 राजकीय हित न्यायहित व जनहित में निरस्त किया जावें।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पैतृक अधिकार की रही है। उनके द्वारा इस पर खेती की जाती रही है। भूमि का स्वैच्छिक एवं लिखित समर्पण नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोड़ने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया था या नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभाक्त अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमें जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार हैं। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालों को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डामीसिंह पुरा में गोचर भूमि छोड़ने के मामले में चारागाह घोषित करने की दरखास्त को नामजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घोषित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। इस प्रकरण में वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 एवं 266 किता 2 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा गीता देवी पुत्र कानदास हि. 3/4 राजेश रमेश पुत्र राधेश्याम हि 5/32 एवं महेश पुत्र राधेश्याम हि. 3/32 कौम स्वामी सा. दे हके नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी पक्षकारगण के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति-दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 79/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम सुन्दरी देवी वगै. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 27.03.2018 को यथावत रखा जावे।
7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 261, 266 किता 2 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा गीता देवी पुत्र कानदास वल्द गोविन्ददास कौम स्वामी सा.देह नाम खातेदारी दर्ज रही है। उक्त

भूमि नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 16.09.1962 द्वारा खातेदारी से सिवायचक दर्ज हुई है। उक्त भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक आदेश क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20.01.1983 द्वारा सिवायचक से खातेदारी कानदास वल्द गोविन्ददास कौम स्वामी को पुनः दर्ज की गई है। खातेदार कानदास की बिदामी देवी गीता देवी पुत्रियां कानदास, लक्ष्मी देवी पत्नी कानदास कौम स्वामी का इन्द्राज स्वीकार किया गया है। वर्तमान में यह भूमि गीता देवी पुत्री कानदास हि 3/4 राजेश, रमेश महेश पि. राधेशमाम हिस्सा 1/4 कौम स्वामी साकिन देह के नाम दर्ज है। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने के बाद भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 13 वर्ष बाद, भूमि 28.05.1975 को आवंटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए जिसकी कि प्रोसिडिंग दिनांक 28.05.1975 को अंकित नहीं है। कानदास वल्द गोविन्ददास कौम स्वामी के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का आदेश Ab-initio void and illegal है। स्व. कानदास वल्द गोविन्द दास की मुकान हरिशंकर वल्द कानदास के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। भूमि गिरदावरी वर्ष 2039 से 2070 तक बंजड दर्शाई गई है जिससे इस भूमि पर किसी के कब्जा काश्त नहीं होना स्पष्ट है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोड़ी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आवंटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आवंटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहिन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without एवं jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आवंटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीम सिंह वगै० बनाम सुन्दरी देवी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं उक्त आवंटन आदेश दिनांक 26.08.1982 एवं इसके पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ० आरूषी मलिक)

संभागीय आयुक्त
सिमांगीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
सिमांगीय आयुक्त
जयपुर।